

सर्व शिक्षा अभियान, सारण |

निजों विद्यालयों के प्रस्तीवृति से संबंधित।

प्रपत्र -II

मुख्यमंत्री विद्यालय प्राधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान)

मन्त्रालय -SSA/31/2018-16/0248/720/.../SSA/दिनांक: 25.03.17,

रेखांगे:

आध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

भृगु प्रगा रोन्डल स्कूल, हसराजपुर एकगा

प्रखण्ड - एकगा सारण।

विषय - वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति में प्रगाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन पत्र के आलोक में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय को वक्षा -1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु 03 वर्ष (25 मार्च 2017 से 24 मार्च 2020) की अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सींगा के सार मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में वच्चों के नामांकन की कुल क्षमता 25 प्रतिशत वच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के बगाऊर एवं वंचित संगुदाय के वच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी प्रस्तीकृति प्रगाण-पत्र, नामांकन से उपर्युक्त विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस गानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा-कालेंगी किया जाएगा।
4. कंडिका 03 में उद्भृत वच्चों के गामले वे विद्यालय को वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपचारा -02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से दैवक खाता का संधारण करेगा।
5. रोशाईटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा, तथा किसी भी वच्चा, उसके गाता-पिता या अभिमावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी वच्चों के नामांकन से उसकी उप्र प्रगाण-पत्र, नामांकन के विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-रथन आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएंगे:-
 - i. किसी भी नामांकित वच्चों को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांवित वच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी वच्चों को किसी प्रकार का शारिरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा गानरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी वच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का वोड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं हाँ।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वालों प्रत्येक वच्चा को नियम- 22 के आलोक में प्रगाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले वच्चों का समावेश किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में

6/4/2018

कार्यतर वैसे सभी शिक्षकों जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 05 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

- vii. शिक्षक अधिनियम की प्रावधानित धारा 24 की उप-धारा 01 से प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगा।

viii. शिक्षक नियोग स्तर पर केसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रावधानित शिक्षकों एवं पाठ्यचयां का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के विधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1000 (1960 का 21) के अंतर्गत निर्बंधित सोराईटी के द्वारा अथवा किसी नियंत्रित संसाधन में लागू वाली के तहत नाइट किसी प्रत्यक्ष द्रस्ट के माध्यम से संचालित नहीं होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अकेशण एवं उसका प्रगाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्त्रीकृति कोड संख्या 0248 है। इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार फरने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्दृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समग्र-रागय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्त्रीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोराईटी के निवधान की नवीकरण की किसी प्रक्रिया की आवश्यता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

जिला क्रम्यकार्य पदाधिकारी

जिला कम्युनिटी पॉलिवर्ग
प्राथमिक एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।